

परिशिष्ट ख

चमरौआ स्टेशन के स्टेशन संचालन नियमों के लिए स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल द्वारा कौंटों एवं सिगनलों का केन्द्रीयकृत प्रचालन हेतु अनुदेश

1. प्रमुख विशेषतायें :-

- 1.1 नियमांश संख्या - 474 दिनांक 24.09.04 संशोधन "बी" दि० 12.07.13
- 1.2 संकेतन आरेख संख्या - सी.एस.टी.ई./कान/91 (वाई डी) 42 संशोधन 'एच' एवं 'पी'
- 1.3 पैनल आरेख संख्या - जि.सि. एवं दूर सं. इ./निर्माण/92(पी.डी.) 1 दि० 28.02.92 संशोधन 'बी' दि० 12.07.13
- 1.4 स्टेशन की श्रेणी - 'बी'
- 1.5 संकेतन का मानक - मानक I
- 1.6 संकेतन का प्रकार - बहु संकेती कलर लाइट सिगनल व्यवस्था।
- 1.7 खण्ड का कार्य संचालन (Block Working) :-
 - 1.7.1 नील्स का बॉल ब्लॉक यंत्र चमरौआ और रामपुर स्टेशनों के मध्य।
 - 1.7.2 नील्स का बॉल ब्लॉक यंत्र चमरौआ और बिलासपुर स्टेशनों के मध्य।

2. कौंटों और सिगनलों का विवरण :-

यार्ड के अप एवं डाउन छोर पर निम्नलिखित सिगनल व कौंटे प्रदत्त हैं। सभी सिगनल कलर लाइट सिगनल हैं तथा विद्युतीय प्रकाशित हैं। सभी कौंटे मोटर प्रचालित (Motor Operated) हैं। सभी कौंटों तथा सिगनल स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त केन्द्रीय पैनल (स्टेशन मास्टर कन्ट्रोल पैनल) से प्रचालित किये जाते हैं।

2.1 यार्ड का डाउन छोर (रामपुर छोर) :-

- 2.1.1 कौंटा :- कौंटा सं. 21, अंगुष्ठ स्विच (Thumb Switch) सं. 21 द्वारा नियंत्रित, लाइन नं. 2 से लाइन नं. 1 के लिये एवं विपरीत क्रम में मार्ग सैट करने हेतु।
- 2.1.2 सिगनल :-
 - 2.1.2.1 अप डिस्टेन्ट सिगनल।
 - 2.1.2.2 अप होम सिगनल सं. '10', एक जै. संकेतक (Jn. Indicator) के साथ, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-
 - अप होम सिगनल सं. '10 ए' सीधी लाइन नं. 2 के लिये जै. संकेतक (Jn. Indicator) रहित।
 - अप होम सिगनल सं. '10 बी' लूप लाइन नं. 1 के लिये मार्ग संकेतक (Route Indicator) सहित।
 - 2.1.2.3 डाउन अग्रिम प्रस्थान (Advance Starter) सिगनल सं. '9'।
 - 2.1.2.4 डाउन प्रस्थान (Starter) सिगनल सं. '3', सीधी लाइन नं. 2 के लिये।
 - 2.1.2.5 डाउन प्रस्थान सिगनल सं. '5', लूप लाइन नं. 1 के लिये।

2.2 यार्ड का अप छोर (लालकुआँ छोर) :-

- 2.2.1 कौंटा :- कौंटा सं. 24, अंगुष्ठ स्विच सं. 24 द्वारा नियंत्रित, लाइन नं. 2 से लाइन नं. 1 के लिये एवं विपरीत क्रम में मार्ग सैट करने हेतु।
- 2.2.2 सिगनल :-
 - 2.2.2.1 डाउन डिस्टेन्ट (Distant) सिगनल।
 - 2.2.2.2 डाउन होम सिगनल सं. 1, एक जै. मार्ग संकेतक (Jn. Indicator) के साथ, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-
 - डाउन होम सिगनल सं. '1 ए' सीधी लाइन नं. 2 के लिये जै. संकेतक (Jn. Indicator) रहित।
 - डाउन होम सिगनल सं. '1 बी' लूप लाइन नं. 1 के लिये जै. संकेतक (Jn. Indicator) सहित।

(जे० ए० आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

- 2.2.2.3 अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं. '2'।
2.2.2.4 अप प्रस्थान सिगनल सं. '4', सीधी लाइन नं. 2 के लिये।
2.2.2.5 अप प्रस्थान सिगनल सं. '6', लूप लाइन नं. 1 के लिये।

2.3 **साथ-साथ आगमन/प्रस्थान/क्रासिंग :-**

- (1) **आगमन :-** इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ आगमन की अनुमति नहीं है।
(2) **प्रस्थान :-** किसी भी लाइन से गाड़ियों का एक साथ दोनों दिशाओं में प्रस्थान किया जा सकता है।
(3) **क्रासिंग :-** इस स्टेशन पर लाइन सं. 1 और 2 दोनों पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है।

2.4 **गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना :-** लाइन सं. 2 (मेन लाइन) से प्रभावी गति का पालन करते हुए रन थ्रू जाने की अनुमति है एवं 15 कि.मी. प्रति घंटे की स्पीड के साथ लाइन सं. 1 से रन थ्रू जाने की अनुमति है। इस स्थिति में प्रस्थान सिगनल को आफ कर दिया जाना चाहिए किंतु यह ऑफ आस्पेक्ट तब ग्रहण करेगा जब गाड़ी सम्बन्धित लाइन के बर्थिंग ट्रैक पर आ जाएगी।

2.5 **आपात स्थिति में सिगनलों को वापस करना :-** आपात स्थिति में सिगनलों को वापस करने हेतु सम्बन्धित सिगनल स्विच को सामान्य अवस्था में करके सम्बन्धित ग्रुप बटन दबाया जाएगा जिससे लाक लाइट जल उठेगी तथा सिगनल आन हो जाएगा। लगभग 120 सेकेन्ड के बाद लाक लाइट स्वतः बुझ जाएगी और स्टेशन मास्टर पैनल से सामान्य कार्य किए जा सकेंगे।

3. **सिगनल संकेत (Signal Aspects) :-**

डिस्टेन्ट सिगनलों, जिनका सामान्य संकेत (Normal Aspect) 'पीला' है, के अलावा समस्त आगमन एवं प्रस्थान सिगनलों का सामान्य संकेत 'लाल' है। डिस्टेन्ट सिगनल के संकेत (Aspect), होम सिगनल के अनुसार स्वतः ही प्रकट होते हैं। अप और डाउन डिस्टेन्ट सिगनलों के लिए कोई अतिरिक्त स्विच नहीं दिया गया है।

दोनों दिशाओं में अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शंट संचालन के लिए प्रस्थान सिगनलों का 'पीला' संकेत प्रदत्त है। प्रस्थान सिगनलों का पीला संकेत केवल तभी प्रकट होगा जबकि आगे अग्रिम प्रस्थान सिगनल ऑन स्थिति (लाल संकेत) में हो।

4. **स्टेशन मास्टर पैनल :-**

स्टेशन मास्टर की मेज पर कॉटों एवं सिगनलों को प्रचालित करने के लिए स्टेशन मास्टर कन्ट्रोल पैनल दिया गया है। इस संदर्भ में कृपया संलग्न स्टेशन नियमारेख को संदर्भित करें। पैनल पर यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास (Geographical Layout) कॉटों और सिगनलों सहित दिया गया है। कॉटों एवं सिगनलों को प्रचालित करने के लिये थम्ब स्विच (Thumb Switch) प्रदत्त है। अन्य विवरण निम्न हैं :-

4.1 **स्टेशन मास्टर की पैनल नियंत्रण चाबी :-**

कॉटों एवं सिगनलों के अनाधिकृत प्रचालन को रोकने हेतु पैनल में एक पैनल मुक्त लॉक (Panel Release Lock) एक नियंत्रण चाबी के साथ प्रदत्त है। इस नियंत्रण चाबी को बाहर निकाल लेने पर सिगनलों एवं कॉटों पर से नियंत्रण विद्युतीय रूप से कट जाता है। स्टेशन मास्टर की नियंत्रण चाबी लगाकर घुमाने पर ही पुनः नियंत्रण स्थापित हो पाता है। नियंत्रण चाबी के बिना लगाये एवं घुमाये, थम्ब स्विचों का घुमाया जाना तथा अप और डाउन ग्रुप पुश बटनों का दबाया जाना कोई परिणाम नहीं देगा। रेलपथ परिपथ के अभिधृत (Occupied) या अनाभिधृत (Unoccupied) होने के संकेत क्रमशः छोटे 'लाल' और 'सफेद' प्रकाश के रूप में प्रदत्त है। रेलपथ परिपथों के, कॉटों के और सिगनलों के संकेत अपनी अन्तिम प्रचालित स्थिति के अनुरूप जलते रहेंगे, चाहे स्टेशन मास्टर की चाबी पैनल में लगी रहे या निकाल ली जाये। पैनल का मुक्त तथा लॉक की स्थिति का संकेत क्रमशः सफेद व लाल रंग के छोटे प्रकाश द्वारा होता है। यह संकेत स्टेशन मास्टर की नियंत्रण चाबी के पास प्रदत्त है।

4.2 **सिगनल थम्ब स्विच (Thumb Switch) :-**

पैनल पर समस्त सिगनलों (डिस्टेन्ट सिगनलों को छोड़कर) के लिए 'सिगनल अंगुष्ठ स्विच' प्रदत्त हैं। इनकी सामान्य स्थिति ऊर्ध्वाकार (Up Right) है। स्विच की विपरीत स्थिति जिस सिगनल को यह नियंत्रण करता है,

(जे० ए० आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

उस पर निर्भर करती है। किसी अप गाड़ी के लिए सिगनल को 'ऑफ' स्थिति में लाने हेतु सिगनल स्विच को दायीं ओर घुमाया जाता है जबकि किसी डाउन गाड़ी के लिए उसको बायीं ओर घुमाया जाता है।

4.3 **कॉटा थम्ब स्विच (Thumb Switch) :-**

पैनल के दोनों छोरों पर प्रत्येक कॉटों के लिये एक कॉटा थम्ब स्विच प्रदत्त है। ये दो स्थिति वाले स्विच हैं। कॉटों को सामान्य स्थिति में प्रचालित करने के लिये सम्बन्धित थम्ब स्विच को 'एन' स्थिति में कर देना चाहिए और कॉटों को विपरीत (Reverse) स्थिति में सैट करने के लिये थम्ब स्विच को 'आर' स्थिति में कर देना चाहिये।

थम्ब स्विच की 'एन' स्थिति के ऊपर प्रदत्त एक छोटा 'सफेद' प्रकाश, जलने पर यह निर्देशित करेगा कि कॉटें सामान्य स्थिति में सैट एवं लॉकड हैं तथा थम्ब स्विच की 'आर' स्थिति के ऊपर प्रदत्त एक छोटा 'हरा' प्रकाश जलने पर यह निर्देशित करेगा कि कॉटें विपरीत (Reverse) स्थिति में सैट एवं लॉकड हैं। कॉटा स्विच के केन्द्र में प्रदत्त एक 'लाल' प्रकाश जलने पर यह निर्देशित करेगा कि कॉटें विद्युतीय रूप से लॉक हो गये हैं और यह प्रचालित नहीं किये जा सकते हैं। जब यह लाल प्रकाश जल रहा हो, सम्बन्धित थम्ब स्विच को कॉटों को प्रचालित करने हेतु नहीं घुमाना चाहिये।

4.4 **ग्रुप पुश बटन :-**

दो ग्रुप पुश बटन यार्ड के अप एवं डाउन छोरों के लिये नामित है। सिगनल स्विचों को वांछित स्थिति में घुमाने के बाद इन ग्रुप बटन को दबाया जायेगा। सिगनलों का प्रचालन तभी सम्भव हो पायेगा जब सम्बन्धित ग्रुप बटन दबाये जायेंगे। डाउन दिशा में गाड़ियों के संचालन हेतु वांछित सिगनलों के प्रचालन हेतु, पैनल के डाउन छोर पर स्थित 'डाउन ग्रुप बटन सं. 1' को दबाना होगा। इसी प्रकार, अप दिशा में गाड़ियों के संचालन हेतु वांछित सिगनलों के प्रचालन हेतु, पैनल के अप छोर पर स्थित 'अप ग्रुप बटन सं. 2' को दबाना होगा। सैट किए हुए मार्ग के निरस्तीकरण (Cancellation) हेतु सिगनल अंगुष्ठ स्विचों को केन्द्रीय स्थिति में वापस कर देना चाहिए और सम्बन्धित ग्रुप बटन को दबाना चाहिए। निरस्तीकरण हो जाने पर कॉटा अंगुष्ठ (Thumb) स्विच की लॉक लाइट (Lock Light) बुझ जायेगी तत्पश्चात् मार्ग बदला जा सकता है।

4.5 **रेल पथ परिपथ संकेत (Track Circuit Indication) :-**

रेल पथ परिपथ 1टी, ए2टी, 24टी, एटी, बीटी, 21टी, ए9टी, एवं 10टी, पैनल के रेल पथ आरेख पर विभिन्न रंगों से दिखाया गया है। इन पथ परिपथों की अभिधारिता (Occupancy)/ विफलता अथवा अनाभिधारिता (Unoccupancy) प्रमाणित करने के लिए क्रमशः छोटी लाल और सफेद बत्तियाँ प्रदत्त हैं। सफेद संकेत तभी दिखायी देगा जब गाड़ी के आगमन/ प्रस्थान के लिए मार्ग सैट है तथा सम्बन्धित सभी शर्तें पूर्ण हैं। अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तक लगातार ट्रैक सर्किटेड है।

4.6 **आपात मार्ग निरस्तीकरण (Cancellation) :-**

आपात काल में, यदि सैट किये हुए मार्ग को निरस्त करना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर सम्बन्धित अंगुष्ठ सिगनल स्विच को सामान्य स्थिति की ओर घुमायेगा तथा सम्बन्धित ग्रुप पुश बटन को दबायेगा जिससे आपात निरस्तीकरण काउन्टर के पास एक सफेद छोटी बत्ती जल उठेगी और काउन्टर में एक संख्या बढ़ जायेगी। लगभग 120 सेकेण्ड के बाद सफेद प्रकाश बुझ जायेगा तथा पैनल पर दिखायी दे रहा मार्ग भी खत्म हो जायेगा। स्टेशन मास्टर प्रत्येक ऐसी कार्यवाही का विवरण निर्धारित रजिस्टर में अवश्य दर्ज करेंगे।

4.7 **वीडर काउन्टर :-** स्टेशन मास्टर पैनल पर दो वीडर काउन्टर प्रदत्त हैं।

4.7.1 आपात मार्ग निरस्तीकरण वीडर काउन्टर :- आपात काल में, यदि सैट किये हुए मार्ग को निरस्त करना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर सम्बन्धित अंगुष्ठ सिगनल स्विच को सामान्य स्थिति की ओर घुमायेगा तथा सम्बन्धित ग्रुप पुश बटन को दबायेगा जिससे आपात निरस्तीकरण काउन्टर के पास एक सफेद छोटी बत्ती जल उठेगी। और काउन्टर पर एक संख्या बढ़ जायेगी। लगभग 120 सेकेण्ड के बाद सफेद प्रकाश बुझ जायेगा तथा पैनल पर दिखायी दे रहा मार्ग भी खत्म हो जायेगा। स्टेशन मास्टर प्रत्येक ऐसी कार्यवाही का विवरण निर्धारित रजिस्टर में अवश्य दर्ज करेंगे।

4.7.2 क्रैंक हैन्डिल वीडर काउन्टर :- विद्युत चालित कॉटा मशीन युक्त कॉटों की विफलता या टेस्टिंग के समय कॉटों को आपरेट करने के लिए स्विच को रिलीज की ओर घुमाकर क्रैंक हैन्डिल को जब निकाला जाएगा तब क्रैंक हैन्डिल वीडर काउन्टर में एक संख्या बढ़ जाएगी। स्टेशन मास्टर प्रत्येक ऐसी कार्यवाही का विवरण निर्धारित रजिस्टर में अवश्य दर्ज करेंगे।

4.8 गेट नियंत्रण स्विच :-

समपार फाटक सं. 16 बी एवं 17 सी के नियंत्रण हेतु एक द्विआयामी नियंत्रण अंगुष्ठ स्विच क्रमश; 'आर' एवं 'पी' प्रदत्त है। स्विच की सामान्य स्थिति के समीप एक छोटी लाल बत्ती दी गयी है जो प्रकाशित होने पर फाटक के खुले होने को इंगित करती है। और एक सफेद छोटी बत्ती, जो स्विच के बन्द स्थिति के समीप है, प्रकाशित होने पर समपार फाटक के बन्द होने का संकेत देती है। स्टेशन मास्टर द्वारा गेट को बंद कराने के लिए गेटमैन को कहा जाएगा उस समय गेट के स्विच को लॉक (Lock) स्थिति में कर देना चाहिए और जब गेट को खोलना हो तब गेट के स्विच को रिलीज (Release) की स्थिति में कर देना चाहिए।

5 सिगनल एवं मार्ग संकेत :-

- 5.1 पैनल पर प्रदर्शित प्रत्येक सिगनल पर छोटे 'लाल', 'पीले' और 'हरे' प्रकाश संकेत प्रदर्शित किये गये हैं। यह संकेत क्षेत्र में सम्बन्धित सिगनल द्वारा प्रदर्शित रंगीन संकेत के अनुरूप हैं।
- 5.2 पैनल पर होम सिगनल के ऊपर छोटी सफेद बत्तियाँ प्रदत्त हैं। ये बत्तियाँ सम्बन्धित होम सिगनल के लूप लाइन सं. 1 की सेटिंग इंगित करती है।

6 सिगनल बत्ती संकेत का विवरण :-

- 6.1 अग्रिम प्रस्थान (Advance Starter) सिगनल जब 'हरा' संकेत धारण करता है, तो इसका अभिप्राय यही होता है कि अगले स्टेशन को गाड़ी के प्रस्थान के लिये समस्त शर्तें पूर्ण हैं। अग्रिम प्रस्थान सिगनल को केवल तभी 'ऑफ' करना चाहिये जब गाड़ी के प्रस्थान हेतु सभी शर्तें पूर्ण हो गयी हों। चालकों को ब्लॉक खण्ड में जाने के लिए, यथार्थ प्राधिकार (Tangible Authority) नील्स का बॉल टोकेन अथवा ब्लॉक विफलता की दशा में लिखित प्राधिकार है और जब तक चालकों को अगले सैक्शन के लिए टोकेन या लिखित प्राधिकार न दे दिया जाये उन्हें ब्लॉक खण्ड में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
- 6.2 मेन लाइन प्रस्थान (Starter) सिगनल ऑफ में 'हरा' संकेत केवल तभी देगा जब चालक को स्टेशन से प्रस्थान करने और अगले ब्लॉक खण्ड में जाने हेतु अनुमति देता हुआ अग्रिम प्रस्थान (Advance Starter) सिगनल ऑफ कर दिया गया हो। दोनों ओर मेन लाइन प्रस्थान सिगनल में 'लाल', 'पीला' और 'हरा' संकेत प्रदत्त है एवं लूप लाइन प्रस्थान सिगनल में 'लाल' एवं 'पीला' संकेत प्रदत्त है। दोनों ओर के मेन लाइन के प्रस्थान सिगनल का 'पीला' संकेत अग्रिम प्रस्थान (Advance Starter) सिगनल तक शंटिंग संचलन के लिए है एवं दोनों ओर के लूप लाइन के प्रस्थान सिगनल का पीला संकेत अग्रिम प्रस्थान (Advance Starter) सिगनल तक शंटिंग संचलन के लिए है एवं अग्रिम प्रस्थान (Advance Starter) सिगनल ऑफ कर दिया गया हो तो अगले ब्लॉक खण्ड में जाने हेतु अनुमति देगा।
- 6.3 अप और डाउन होम सिगनल तीनों 'लाल', 'पीले' तथा 'हरे' संकेतों (Aspects) के साथ जै. संकेतक (Jn. Indicator) सहित प्रदत्त हैं। जब होम सिगनल ऑफ होने पर 'पीला' संकेत देता है तो वह मुख्य लाइन पर रुकने वाली गाड़ी की ओर इंगित करता है। जै. मार्ग संकेतक के साथ, होम सिगनल का 'पीला' संकेत, यह इंगित करता है कि गाड़ी को जै. मार्ग संकेतक द्वारा इंगित लूप लाइन में आगमन की अनुमति दी गयी है। होम सिगनल का 'हरा' संकेत और साथ में अग्रिम प्रस्थान (Advance Starter) सिगनल एवं मुख्य लाइन प्रस्थान (Starter) सिगनल का 'हरा' संकेत यह इंगित करता है कि गाड़ी को मुख्य लाइन से होकर बिना रुके सीधे जाना है। यदि पैनल पर सम्बन्धित कॉर्टों के सही सैट होने का संकेत नहीं जल रहा है परन्तु सिगनल संकेत सूचक सही मिल रहा है तो यह माना जायेगा कि कॉर्टे सैट एवं लॉकड (Locked) हैं।
- 6.4 शंट सिगनल सं. 11 एवं 12 अनाश्रित पोजीशन लाइट शंट सिगनल है। जो कि क्रमश: बिलासपुर रोड तथा रामपुर साइड से किए जाने वाले बैक शंट संचलन को नियंत्रित करेंगे। ये अलग पोस्ट पर स्वतंत्र लगे हैं एवं पैनल पर विभिन्न बटनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऑन स्थिति में 2 सफेद बत्ती क्षैतिज तल पर तथा ऑफ स्थिति में क्षैतिज से 45° के कोण पर 2 सफेद बत्ती दिखाते हैं।

7. अंगुष्ठ स्विच रोक प्लग (Thumb Switch Stop Plug) :-

6 नं. अंगुष्ठ स्विच रोक प्लग, पैनल के प्लग स्टोरेज स्थान पर प्रदत्त हैं। जब कभी, कॉटा अंगुष्ठ स्विचों के एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रचालन को रोकना हो, इन प्लगों को पैनल पर दिये गये अंगुष्ठ स्विचों के पास प्रदत्त छेदों में दबाकर लगा देना चाहिये। ये प्लग लगा दिये जाने पर स्टेशन मास्टर के लिये अनुस्मारक (Reminder) का कार्य करेंगे कि अंगुष्ठ स्विच, प्लग द्वारा बाधित दिशा में नहीं घुमाना चाहिये।

8. क्रैन्क हैंडिल (Crank Handle) :-

- 8.1 एक क्रैन्क हेण्डिल, स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त विद्युत लीवर लॉक और परिपथ नियंत्रक (Circuit Controller) असेम्बली में लॉकड रहता है। विद्युत कॉटा मशीन के विफल होने की दशा में इन कॉर्टों का प्रचालन क्रैन्क हेण्डिल से करने हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर 'क्रैन्क हेण्डिल नियंत्रण अंगुष्ठ स्विच' को दाहिनी ओर घुमायेगा, स्विच के ऊपर एक

(जे० ए० आजमी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

लाल प्रकाश जल उठेगा। तत्पश्चात् स्टेशन मास्टर क्रेन्क हैण्डिल को धीर-धीरे घुमाकर बाहर निकाल लेगा। क्रेन्क हैण्डिल को केवल तभी निकालना चाहिये जब असेम्बली के निकट लॉक मुक्त (Lock Free) संकेत जल जाये। प्रत्येक बार क्रेन्क हैण्डिल निकालने पर क्रेन्क हैण्डिल के वीडर काउन्टर में एक संख्या बढ़ जाएगी। कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा इस कार्य की प्रविष्टि इस उद्देश्य हेतु बनायी गयी पंजिका में अवश्य करनी चाहिये। कौंटों को वांछित दशा में प्रचालित करने के बाद क्रेन्क हैण्डिल को अपनी लीवर लॉक असेम्बली में वापस लगा देना चाहिये।

8.2 क्रेन्क हैण्डिल अंगुष्ठ स्विच :-

स्टेशन मास्टर पैनल पर, क्रेन्क हैण्डिल की सामान्य दशा के सत्यापन के लिये एक द्विआयामी अंगुष्ठ स्विच प्रदत्त है। अंगुष्ठ स्विच घुमाने पर क्रेन्क हैण्डिल की सामान्य स्थिति के सूचक हेतु अंगुष्ठ स्विच के ऊपर एक सफेद प्रकाश जल जायेगा।

9. कौंटा मशीन के आपातकालीन प्रचालन की प्रक्रिया :-

- 9.1 स्टेशन मास्टर अपने व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखी गई मोटर प्वाइंट मशीन के ढक्कन की व ढक्कन के अन्दर के ताले की चाबियाँ लेकर मोटर प्वाइंट मशीन पर जाएं एवं मोटर प्वाइंट मशीन पर क्रेन्क हैण्डिल लगाने हेतु बने छिद्र पर के ढक्कन में लगे ताले को खोलें।
- 9.2 ढक्कन को हटाकर चाभी लगाकर घुमा दें ताकि क्रेन्क हैण्डिल जाने के लिये साकेट में जगह बन जायें। इस कार्यवाही से मोटर प्वाइंट मशीन से बिजली की सप्लाई भी कट जाती है।
- 9.3 क्रेन्क हैण्डिल को साकेट में डालकर सीधा या उल्टा आवश्यकतानुसार घुमायें। प्वाइंट स्विच के एक तरफ से दूसरी तरफ सेट हो जाने के बाद भी क्रेन्क हैण्डिल को तब तक चलाते रहना चाहिये जब तक प्वाइंट पूर्ण रूप से सेट होकर लाक न हो जाये।
- 9.4 कार्य पूर्ण होने के पश्चात् क्रेन्क हैण्डिल को निकालकर चाभी घुमाकर बाहर निकाल लें, ताकि प्वाइंट मशीन बिजली सप्लाई द्वारा चलाई जा सके। क्रेन्क हैण्डिल को स्टेशन मास्टर कार्यालय में सम्बन्धित लाक में लगा दें एवं क्रेन्क हैण्डिल की चाभी एवं ढक्कन की चाभी स्टेशन मास्टर को सौंप दें।

नोट : क्रेन्क हैण्डिल से हाथ द्वारा मोटर प्वाइंट का संचालन या टेस्टिंग हेतु मोटर प्वाइंट के संचालन के लिये जब भी क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी लाक से निकाला जाये तो प्रत्येक बार इस कार्यवाही की प्रविष्टि स्टेशन मास्टर द्वारा उस विशेष रजिस्टर में किया जायें जिसमें निम्न प्रोफार्मा बना कर रखा गया है।

क्र० सं०	क्रेन्क हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी का नाम व पद	क्रेन्क हैण्डिल निकालने का समय व तिथि	क्रेन्क हैण्डिल निकालने के उद्देश्य विफलता/ टेस्टिंग	क्रेन्क हैण्डिल निकालने वाले के हस्ताक्षर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर	क्रेन्क हैण्डिल वापस करने का समय व तिथि	क्रेन्क हैण्डिल वापस करने वाले के हस्ताक्षर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 9.5 सिगनल विभाग के कर्मचारियों को अनुरक्षण अथवा टेस्टिंग के लिए क्रेन्क हैण्डिल देते समय उनसे सम्बन्धित प्वाइंटस का डिसकनेक्शन मेमो निर्धारित प्रारूप पर अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
- 9.6 सम्बन्धित सिगनल विभाग के कर्मचारी से रीकनेक्शन मेमो क्रेन्क हैण्डिल के साथ प्राप्त होने पर नार्मल कार्य प्रणाली अपनाई जाये।
- 9.7 डिसकनेक्शन की अवधि में गाड़ियों का परिचालन साधारण नियम 3.69(1) (3) एवं सहायक नियम 3.70(1) (2), 15.06(8) (IV) में उल्लिखित नियमानुसार किया जाय।

(जे० ए० आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

10. कौटो तथा सिगनलो के परिचालन की तालिका :-

क्रम सं.	संचलन	कौटा अंगुष्ठ स्विच सं. प्रचालित करें		सिगनल अंगुष्ठ स्विच सं. प्रचालित करें	ग्रुप बटन सं. को दबायें	समपार फाटक को बन्द करें
		सामान्य	विपरीत			
क.	अप गाड़ी के आगमन हेतु					
1.	लाइन सं. 1 पर	—	21, 24	10	1	16 'बी', 17 'सी'
2.	लाइन सं. 2 पर	21, 24	—	10	1	16 'बी', 17 'सी'
ख.	डाउन गाड़ी के आगमन हेतु					
1.	लाइन सं. 1 पर	—	21, 24	1	2	16 'बी', 17 'सी'
2.	लाइन सं. 2 पर	21, 24	—	1	2	16 'बी', 17 'सी'
ग.	अप गाड़ी का बिना रुके सीधे जाना					
1.	लाइन सं. 1 से	—	21, 24	2, 6, 10	1, 2	16 'बी', 17 'सी'
2.	लाइन सं. 2 से	21, 24	—	2, 4, 10	1, 2	16 'बी', 17 'सी'
घ.	डाउन गाड़ी का बिना रुके सीधे जाना					
1.	लाइन सं. 1 से	—	21, 24	9, 5, 1	1, 2	16 'बी', 17 'सी'
2.	लाइन सं. 2 से	21, 24	—	9, 3, 1	1, 2	16 'बी', 17 'सी'
ङ.	अप गाड़ी के प्रस्थान हेतु					
1.	लाइन सं. 1 से	—	24	2, 6	2	17 'सी'
2.	लाइन सं. 2 से	24	—	2, 4	2	17 'सी'
च.	डाउन गाड़ी के प्रस्थान हेतु					
1.	लाइन सं. 1 से	—	21	9, 5	1	16 'बी'
2.	लाइन सं. 2 से	21	—	9, 3	1	16 'बी'
छ.	अप साइड शंटिंग संचलन (अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक)					
1.	लाइन सं. 1 से	—	24	6	2	17 'सी'
2.	लाइन सं. 2 से	24	—	4	2	17 'सी'
ज.	डाउन साइड शंटिंग संचलन (अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक)					
1.	लाइन सं. 1 से	—	21	5	1	16 'बी'
2.	लाइन सं. 2 से	21	—	3	1	16 'बी'
झ.	बैक शंट सिगनल सं० 12 से (रामपुर साइड से)					
1.	लाइन सं. 1 में	—	21	12	1	—
2.	लाइन सं. 2 में	24	—	12	1	—
ञ.	बैक शंट सिगनल सं० 11 से (बिलासपुर रोड साइड से)					
1.	लाइन सं. 1 में	—	24	11	2	17 'सी'
2.	लाइन सं. 2 में	24	—	11	2	17 'सी'

11. संचार साधन :-

स्टेशन मास्टर कार्यालय में :-

1. इज्जतनगर नियंत्रण कार्यालय से सम्बद्ध नियंत्रण दूरभाष (Control Telephone) ।
2. रामपुर स्टेशन के ब्लॉक यंत्र से सम्बद्ध दूरभाष ।

(जे० ए० आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

3. बिलासपुर स्टेशन के ब्लॉक यंत्र से सम्बद्ध दूरभाष।
4. इन्टरलॉकड इन्जी. समपार फाटक सं. 5 श्रेणी 'बी 2' मध्य चमरुआ-रामपुर से सम्बद्ध मेगनेटों टेलीफोन।
5. इन्जी. समपार फाटक सं. 13 श्रेणी 'सी' मध्य चमरौआ-रामपुर से सम्बद्ध मेगनेटों टेलीफोन।
6. स्टेशन पर स्थित ट्रैफिक समपार फाटक सं. 16 श्रेणी 'बी' मध्य चमरौआ-रामपुर से सम्बद्ध मेगनेटों टेलीफोन।
7. स्टेशन पर स्थित ट्रैफिक समपार फाटक सं. 17 श्रेणी सी मध्य चमरौआ-बिलासपुर रोड से सम्बद्ध मेगनेटों टेलीफोन।
8. इन्जी. समपार फाटक सं. 19 श्रेणी 'सी' मध्य चमरुआ-बिलासपुर रोड से सम्बद्ध मेगनेटों टेलीफोन।
9. इन्जी. समपार फाटक सं. 28 श्रेणी 'सी' मध्य चमरुआ-बिलासपुर रोड से सम्बद्ध मेगनेटों टेलीफोन।
10. वी. एच. एफ. सेट ।
11. बी.एस.एन.एल. फोन।

11.A संचार साधनों की विफलता के दौरान कार्यवाही :- G&SR परिशिष्ट 'ख' पार्ट-II, परिशिष्ट 'घ' एवं G&SR 14.13 नोट 'बी' के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

12. विफलतायें :-

संकेतन एवं अन्तर्पाशन तथा टेलीफोन की विफलता की दशा में निम्नलिखित अधिकारियों को सूचित किया जायेगा। गाड़ी संकेतन उपकरणों एवं टेलीफोन की विफलता की दशा में अभियंत्रिकी अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक नहीं है। जब संकेतन एवं अन्तर्पाशन विफलता हो, साधारण एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72 और 3.76 में विनिर्दिष्ट प्रणाली तथा समय-समय पर जारी किये जाने वाले संयुक्त प्रपत्रों व अनुदेशों का अनुसरण किया जायेगा।

क्रम सं.	सूचित किये जाने वाले अधिकारी/ कर्मचारी	यांत्रिक संकेतन एवं अन्तर्पाशन विफलता	विद्युत उपकरण विफलता (ब्लाक यंत्र, टेलीफोन आदि)
1.	यांत्रिक संकेत अनुरक्षक	रुद्रपुर सिटी	--
2.	विद्युत संकेत अनुरक्षक	--	रुद्रपुर सिटी
3.	जूनियर इंजीनियर (सिग.) II	रुद्रपुर सिटी	रुद्रपुर सिटी
4.	सेक्शन इंजीनियर (सिग.)	लालकुआँ	लालकुआँ
5.	सहायक सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर	इज्जतनगर	इज्जतनगर
6.	वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर	इज्जतनगर	इज्जतनगर
7.	वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/ II	इज्जतनगर	--
8.	सहायक इंजीनियर	काशीपुर	--
9.	वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक	इज्जतनगर	इज्जतनगर
10.	यातायात निरीक्षक	काठगोदाम	काठगोदाम
11.	मुख्य गाड़ी नियंत्रक	इज्जतनगर	इज्जतनगर
12.	दोनों छोर के स्टेशन मास्टर	रामपुर/ बिलासपुर रोड	रामपुर/ बिलासपुर रोड
13.	मंडल संरक्षा अधिकारी	इज्जतनगर	इज्जतनगर

कार्यरत स्टेशन मास्टर सभी विफलताओं को सिगनल विफलता रजिस्टर में इंड्राज करें तथा सम्बन्धित ई०एस०एम०/एम०एस०एम० को लिखित सूचना अवश्य दें। अनुरक्षक खराबियों को ठीक करने के उपरान्त उनमें खराबियों का विवरण कारण सहित ठीक करने का समय आदि का इंड्राज अपने हस्ताक्षर तिथि सहित करें तथा स्टेशन मास्टर से प्रति हस्ताक्षरित भी करवा लें।

(जे० ए० आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

13. (क) कलर लाइट सिगनलों को प्रकाशित करने की व्यवस्था :

चमरौआ स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिए इन्टिग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम (आईपीएस) का प्रावधान किया गया है। जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेंगे। उपर्युक्त आईपीएस की मॉनीटरिंग के लिये सहायक स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियो विजुवल आईपीएस स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है जिससे निम्न सूचनाएँ प्रदर्शित होंगी :-

1. आईपीएस की बैट्री का वोल्टेज :

स्टेशन मास्टर के पैनल पर डिजिटल वोल्ट मीटर लगा है जो बैट्री के वोल्टेज को प्रदर्शित करता है।

2. चार एलईडी सूचक जो निम्न स्थितियों में प्रकाशित होते हैं :-

- 2.1 उपर से प्रथम लाल एलईडी सूचक :- (जेनरेटर स्टार्ट करने के लिए) आईपीएस की बैट्री का वोल्टेज 110 वोल्ट से कम होने पर लाल एलईडी सूचक जलेगा तथा बजर भी बजेगा। इस सूचक को जलने तथा बजर बजने पर स्टेशन मास्टर के स्वीकार बटन दबाने के तुरन्त बाद जनरेटर स्टार्ट करने की कार्यवाही करनी चाहिए।
- 2.2 उपर से द्वितीय लाल एलईडी सूचक :- (जेनरेटर स्टार्ट करने के लिए) यदि किन्हीं कारण वश प्रथम सूचक के जलने पर स्टेशन मास्टर द्वारा जनरेटर नहीं चलाने पर यह आपात कालीन चेतावनी होगी जिसके प्राप्त होने पर जनरेटर नहीं चलाने पर आईपीएस कार्य करना बंद कर देगा एवं स्टेशन की समस्त सिगनलिंग व्यवस्था अकार्यशील हो जायेगी तथा सिगनल बुझ जायेंगे।
- 2.3 उपर से तृतीय लाल एलईडी सूचक :- यह आईपीएस सिस्टम बंद होने का सूचक है यदि किन्हीं कारणों से तृतीय एलईडी सूचक प्रज्वलित हो जाय तो इस परिस्थिति में संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी ईएसएम/सेक्शन इंजीनियर/(सिगनल)/सिनियर सेक्शन इंजीनियर (सिगनल) को स्टेशन मास्टर द्वारा अविलम्ब सूचित करना चाहिए।
- 2.4 उपर से चतुर्थ लाल एलईडी सूचक :- यह संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी के बुलाने का सूचक है।

3. इस स्टेशन पर सम्पूर्ण सिगनल व्यवस्था सामान्यतया आईपीएस से संचालित है। इस आपूर्ति की विफलता पर विफलता के कारणों को दूर कर सम्पूर्ण सिगनल व्यवस्था को सामान्य किया जा सकेगा।

4. आडियो विजुअल आईपीएस स्थित प्रकाशित बोर्ड पर लगे प्रथम एलईडी के जलने एवं बजर बजने पर जनरेटर चलाना आवश्यक होगा जिसकी कार्य प्रणाली निम्नवत है :

(i) जनरेटर कक्ष में लगे चेन्जओवर स्विच जो सामान्य स्थिति में सदैव वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति (कामर्शियल पावर सप्लाई) की तरफ लगा रहेगा को जेनरेटर साइड में लगा देंगे।

5. जब कामर्शियल सप्लाई आ जाये तो चेन्जओवर स्विच को कामर्शियल साइड की तरफ लगा देंगे तथा जनरेटर को बंद कर दिया जाएगा।

6. जेनरेटर में डीजल आयल जब भरा जाय तो स्टेशन मास्टर आयल लाग बुक में इसका इंदराज तुरन्त करे। कार्यरत स्टेशन मास्टर भी डीजल जेनरेटर के उपयोग का इन्दराज लाग बुक में अवश्य करें।

(जे० ए० आजमी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

7. कार्यरत स्टेशन मास्टर पावर सप्लाई की विफलता/उपलब्धता का इंदराज लाग बुक में निम्न प्रकार से करें :-

क्रम सं०	दिनांक	कामर्शियल पावर विफलता का समय घंटा एवं मिनट में	डी०जी०सेट चलने का समय घंटा एवं मिनट में			डीजल आयल भरा गया मात्रा लीटर में	हस्ताक्षर स्टेशन मास्टर	रिमार्क
			चालू करने का समय	बंद करने का समय	चलने का समय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. डीजल जेनरेटर की सर्विस ओवर हालिंग तथा मरम्मत इत्यादि का विवरण लाग बुक के रिमार्क कालम में इंदराज करे।

9. जेनरेटर सेट को एक बार में कभी भी 4 घंटे से अधिक समय तक नहीं चलाया जाएगा।

10. स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :-

आई०पी०एस० मानीटरिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखे एवं सूचक के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेंगे तथा प्वाइंट मशीन एवं रिले अकार्यशील भी हो जायेंगे।

- ख. आई०पी०एस० की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि :

- (i) आई०पी०एस० के फेल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लियर देने अथवा किसी अन्य गाड़ी का परिचालन करने से पहले यह भली भांति सुनिश्चित कर ले कि साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाड़ी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।
- (ii) यदि लाइन क्लियर देने के पश्चात पिछले स्टेशन से गाड़ी चल चुकी है तथा किसी कारण वश गाड़ी की दिशा में पड़ने वाले सिगनल की रोशनी बुझ चुकी है तो स्टेशन मास्टर किसी सक्षम कर्मचारी को सिगनल के पास रोशनी बुझे हुए सिगनल के नीचे आने वाली गाड़ी के चालक को देने के लिए टी-369(3 बी) भेजेगा। जो गाड़ी को नियमानुसार पायलट करके लायेगा।

(जे० ए० आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

अनुलग्नक - I

व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति विफल होने पर निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये :-

1. सिगनल सामान्यतः उपलब्ध व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं। व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति के विफल होने पर सिगनल बलित्तियों जनरेटर द्वारा प्रकाशित होते हैं।
2. इस स्टेशन पर दो जनरेटर क्रमशः जेनरेटर सेट 1 एवं जनरेटर सेट 2 लगे है। जनरेटर कक्ष में लगे चेन्जओवर स्विच "ए" जो सामान्य स्थिति में सदैव वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति (कामर्शियल पावर सप्लाई) की तरफ लगा रहेगा। जेनरेटर कक्ष में जेनरेटर चेन्ज ओवर स्विच (बी) लगा है जो सामान्यतः बीच में रहता है। जेनरेटर को चालू करने के पश्चात् सम्बन्धित चेंजओवर स्विच को चालू किए गए जनरेटर की तरफ लगा दिया जाये। सेल्फ द्वारा जेनरेटर चलाने के लिए जेनरेटर को डी-क्लच अवश्य कर लें जिससे सेल्फ की बैट्री ज्यादा डिस्चार्ज न हो।
3. व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति की लम्बी अवधि की विफलता की दशा में जनरेटर को 4 घंटे से अधिक समय तक नहीं चलाना चाहिये।
4. व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन अथवा किसी दूसरी गाड़ी के संचालन की अनुमति के देने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि जनरेटर आपूर्ति उपलब्ध है, और सिगनल जल रहे हैं।
 - (क) जब किसी कारण से जनरेटर आपूर्ति नहीं कराई जा सकती और सिगनल प्रकाशित नहीं है, तब ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर लाइन क्लीयर देने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी के आगमन के लिए व्यवस्था कर ली गयी है और पिछले स्टेशन को साधारण तथा सहा. नियम 3.49(4) तथा 3.68 से 3.72 तक के अनुसार टी/369(3 b) को जारी करने के आदेश देगा।
 - (ख) आगमन अनुमति देने के बाद यदि किसी कारण से सिगनल बुझ जाय और पिछले स्टेशन से गाड़ी छूट चुकी हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर आने वाली गाड़ी के चालक को संकेत करने के लिए आवश्यक हैन्ड सिगनल/ डेटोनेटर लेकर एक सक्षम रेल कर्मचारी बुझे हुए रोक सिगनल के स्थान पर नियुक्त करेगा और निर्धारित नियमों के अनुसार गाड़ी को चलवाने की व्यवस्था करेगा।
5. जब व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति पुनः चालू हो जाय तो चेंज ओवर स्विच को व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति की ओर कर देना चाहिए और जेनरेटर बन्द कर देना चाहिए।
6. जनरेटर में डीजल तेल भरा जायेगा और स्टेशन मास्टर द्वारा रखी जाने वाले लाग बुक में समुचित प्रविष्टि की जायेगी। जेनेरेटर चलाने का रेकॉर्ड अलग-अलग पंजिका में परिचालन विभाग द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर लाग बुक में डीजल जनरेटर के प्रयोग के लिए सर्विस, पुर्नकल्पन, मरम्मत आदि का अभिलेख भी रखेगा तथा सिगनल विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी लाग बुक की टिप्पणी कॉलमों में इनकी प्रविष्टि की जानी चाहिए।

(जे० ए० आजमी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

7. सेल्फ स्टार्टर स्विच खराब होने पर हैन्डिल से आपरेटिंग स्टाफ जेनरेटर को पहले डी-क्लच करके स्टार्ट करेगा। जेनरेटर चालू हो जाने के बाद डी-क्लच लीवर को पुनः उसी स्थान पर वापस कर दिया जाएगा।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर विद्युत आपूर्ति विफलता एवं जेनरेटर चालू एवं बन्द करने का अभिलेख लॉग बुकों में निम्नलिखित प्रपत्र में रखेगा :-

क्र. सं.	दिनांक	व्यवसायिक विद्युत विफलता का समय	व्यवसायिक विद्युत के पुनःस्थापन का समय	व्यवसायिक विद्युत विफलता की अवधि	जेनरेटर आरम्भ करने का समय	जेनरेटर बन्द करने का समय	जेनरेटर चलने की अवधि	डीजल की भरी गई मात्रा	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(जे० ए० आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर